कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **एस.ओ.जी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार, दलाल (प्राईवेट व्यक्ति–बर्खास्त पुलिसकर्मी) फरार**
- **मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार नहीं करने की एवज में मांगी जा रही थी रिश्वत**
- **आरोपियों के विभिन्न ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *16 जनवरी, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर द्वारा आज ए.सी.बी की टीमों के साथ प्रदेश के विभिन्न ठिकानों पर कार्यवाही करते हुये **श्रीमती दिव्या मित्तल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एस.ओ.जी. अजमेर** को उसके दलाल सुमीत कुमार (प्राईवेट व्यक्ति–बर्खास्त पुलिसकर्मी) के मार्फत **2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने** के प्रकरण में गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में एस.ओ.जी. में दर्ज प्रकरणों में गिरफ्तार नहीं करने एवं मदद करने की एवज में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एस.ओ.जी. अजमेर द्वारा उसके दलाल सुमीत कुमार (प्राईवेट व्यक्ति–बर्खास्त पुलिसकर्मी) के माध्यम से स्वयं एवं उच्च अधिकारियों के नाम पर **2 करोड़ रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह शेखावत** के निर्देशन में द्वारा शिकायत का सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी दिव्या मित्तल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एस.ओ.जी. अजमेर एवं उसके दलाल सुमीत कुमार द्वारा परिवादी से **2 करोड़ रुपये रिश्वत** की मांग सत्यापित हुई। सत्यापन वार्ता में आरोपियों द्वारा परिवादी के अनुनय–विनय करने पर पहले **1 करोड़ रुपये** फिर **50 लाख रुपये** की मांग पर सहमति जाहिर की। आरोपी रिश्वत के रूप में **25 लाख रुपये** अभी लेने एवं **25 लाख रुपये** परिवादी की बहन की शादी के बाद लेने पर राजी हुये। इस दौरान एसीबी कार्यवाही की भनक लगने के कारण आरोपियों द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की।

एसीबी द्वारा मामले में प्रकरण दर्ज किया जाकर माननीय न्यायालय से वारंट प्राप्त किया गया। आज प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी **उप अधीक्षक पुलिस श्री**

मांगीलाल स्पेशल यूनिट–द्वितीय, जयपुर के नेतृत्व में एसीबी की विभिन्न टीमों द्वारा एक साथ कार्यवाही की जाकर आरोपियों के 5 विभिन्न ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया जाकर आज आरोपी दिव्या मित्तल निवासी सी–204, ए.आर.जी. सिटी, अजमेर हाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एस.ओ.जी. अजमेर को गिरफ्तार किया गया है। दलाल सुमीत कुमार पुत्र श्री रामनिवास निवासी कुकलोथ कलां, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (प्राईवेट व्यक्ति–बर्खास्त पुलिसकर्मी) फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। उल्लेखनीय है कि आरोपी दलाल द्वारा परिवादी से रिश्वत मांगने के लिये चालाकी से इन्टरनेट–कॉल (VOIP) का ही उपयोग किया गया, लेकिन एसीबी टीम द्वारा शिकायत का विधिसम्मत सत्यापन किया गया।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से एस.ओ.जी. एवं पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों की संलिप्तता के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।